



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना.-प्रथम/2018/3820 जयपुर दिनांक: 28.8.18

संशोधन आदेश

विभागीय संशोधित आदेश क्रमांक 3364 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा श्री चतर सिंह, कनिष्ठ सहायक को पं0स0 किशनगढबास, अलवर से पं0स0 कठूमर, अलवर में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया, जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः उक्त आदेश में पं0स0 किशनगढबास, अलवर से पं0स0 कठूमर, अलवर के स्थान पर पंचायत समिति किशनगढबास, अलवर से पंचायत समिति तिजारा, अलवर को संशोधित कर पढा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दिनेश कुमार जांगिड)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0पं0राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढबास/कठूमर/तिजारा (अलवर)।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त